

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

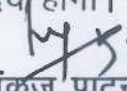
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (डी-डीजीएस/1213)/अलेसे-11/

दिनांक :-

कार्यालय आदेश

प्रशासनिक अधिकारी, कृते ग्रुप कमाण्डर, मुख्यालय एनसीसी, जोधपुर के पत्र क्रमांक 127/सिंव/डीजी/4284 दिनांक 09.03.2017 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके कार्यालय में कार्यरत श्री दीपक गोयल, तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर हाल सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय ग्रुप कमाण्डर, ग्रुप मुख्यालय एनसीसी, जोधपुर के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर में अपराध संख्या 110/2016 के अनुसंधान के क्रम में दिनांक 03.03.2017 को मध्याह्न पश्चात् गिरफ्तार किया गया तथा माननीय सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के आदेश दिनांक 04.03.2017 के अनुसार आरोपी श्री दीपक गोयल दिनांक 04.03.2017 से 09.03.2017 तक पुलिस रिमाण्ड पर है। श्री दीपक गोयल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 48 घण्टे से अधिक पुलिस हिरासत में रहे हैं। अतः श्री गोयल को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियम 1958 के नियम 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 04.03.2017 से एतद् द्वारा निलंबित कर इनका मुख्यालय कोषालय, नागौर किया जाता है। श्री गोयल को नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

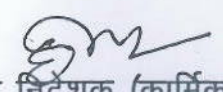

(पंकज पाटनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (डी-डीजीएस/1213)/अलेसे-11/2508

दिनांक :- 22-3-17

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
2. जिला कलक्टर, नागौर।
3. कोषाधिकारी, नागौर।
4. कर्नल प्रशासनिक अधिकारी, कृते ग्रुप कमाण्डर, एनसीसी, जोधपुर।
5. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
7. उपनिदेशक ए.सी.पी. को वेबसाइट अपलोड/पी.आई.एस. हेतु।
8. श्री दीपक गोयल, सहायक लेखाधिकारी-11 निलंबित कार्यालय ग्रुप कमाण्डर, एनसीसी, जोधपुर।
9. पदस्थापन सीट/ एसीपी/ जांच/ एसीआर/ कार्यालय प्रति।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)